State	1993-94		1994-95**	
	Allocation	Lifting	Allocation	Lifting
Daman & Diu	2944	2888	2944	21018
Delhi	238540	239748	238544	198677
Lakshadweep	876	462	809	24237
Pondicherry	14720	14176	14861	12241
All India	8577144	8579346	8822193	8722778

** Allocation upto December, 1994
Lifting is upto October, 1994

Quality Standards for Consumer Items

5801. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 792 given in the Rajya Sabha on the 20th March, 1995 and state:

(a) whether any quality standards for consumer items have been laid down by Government; and

(b) if so, the details thereof and to what extent the manufacturers have been following those standards?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Bureau of Indian Standards, which is responsible for formulation of national standards has formulated about 2000 standards in respect of consumer items like building construction materials, medical equipment, domestic refrigerators, LPG stoves, oil pressure stoves, hurricane lanterns, gas cylinders, domastic electrical appliances, GLS lamps, cycle and car tyres, detergent powder, laundry soaps, biscuits, food colours, spices, processed fruits and vegetable products, milk powder, vanaspati, mosquito nets, etc.

BIS operates a Certification Marks Scheme under which licences are granted to manufacturers for using ISI-mark on their Certification Mark Scheme is basically voluntary in nature. However, certain products relating to health safety and mass consumption, covering 125 items, have been brought under mandatory certification by the Government of India by issuing Quality Control Orders from time to time under various Acts and Statutes. These items include LPG cylinders, food colours, milk powder, electric lamps, vanaspati, cement, electrical switches and sockets, etc. The responsiblitiy for implementation of Quality Control Orders lies with the State Government/U.T. Administrations.

After grant of licenses, the Bureau of Indian Standards, through their system of regular inspection of the produced according to the provisions of the Certification Marks Scheme and they also conform to the relevant Indian Standard specification.

उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा चावल, खाद्य तेलों और चीनी की मांग

5802. **प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और

राजस्थान द्वारा चावल, खाद्य तेलों और चीनी की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की गयी है; और

(ख) इन राज्यों को उक्त वस्तुएं वस्तुतः कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गयीं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा मांगी गई चावल की मात्रा और उन्हें आवंटित की गई मात्राएं निम्नवत हैं:—

(हजार मी॰ टन में)

	उत्तर प्रदेश		राजस्थान	
वर्ष	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
1992-93	1490.00	445.27	56.00	69.70
1993-94	738.40	535.60	84.70	84.60
1994-95	549.60	549.60	46.00	46.00

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन सामान्यतः 1.10.1986 की अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। ये मानदण्ड 1.2.1987 से प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार प्रत्येक वर्ष त्यौहार के कोटे के रूप में लगभग एक लाख मीटरी टन मात्रा जारी करती है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आवंटनों के अनुपात में आवंटित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी पसन्द के महीनों में त्यौहार का कोटा लेने की अनुमति है। अगस्त, 1991 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मासिक लेवी चीनी के आवंटनों में, उस समय लेवी चीनी की बढ़ी हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जो 5% की तदर्थ वृद्धि की गई थी उसे लेवी चीनी की उपलब्धता संबंधी बाधाओं के कारण अप्रैल, 1994 से बन्द कर दिया गया था। उपर्युक्त के आधार पर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मासिक लेवी चीनी का आवंटन तथा वार्षिक त्यौहार कोटा नीचे दिया गया है:—

(मीटरी टनों में)

	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
(i) मासिक लेवी चीनी कोटा	52,926	16,914
(ii) 5% की तदर्थ वृद्धि (अगस्त, 91 से मार्च, 94 तक)	2,646	846
(iii) वार्षिक त्यौहार कोटा	15,936	5,492

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों के अनुसार किया जाता है। 1994-95 के दौरान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आयातित खाद्य तेल हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान को खाद्य तेलों की आवंटित मात्रा निम्नवत है:—

(हजार मी॰ टन में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
1992-93	1.50	0.70
1993-94	1.20	1.40
1994-95	0.00	0.00